

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प.नि.मण्डलेश्वर (म.प्र.)

आदेश

क्रमांक:- 195/लेखा/2024

मण्डलेश्वर, दि.11/04/2024

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क.एफ 3-03/2019/1/4, भोपाल दिनांक 26.03.2024 के द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश लोकसभा आम चुनाव 2024 के सिलसिले में निर्वाचन चार चरणों में होने से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

अतः उपरोक्त अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के सर्कुलर क्र. डी/448, जबलपुर दिनांक 22.01.2015 में दिये गये निर्देशों के आलोक में न्यायिक जिला स्थापना मण्डलेश्वर (राजस्व जिला खरगोन) में दिनांक 13.05.2024 को लोकसभा आम चुनाव-2024 होने से, दिनांक 13.05.2024 को न्यायिक जिला स्थापना मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालयों के लिए सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

पृष्ठा.क्र.820/लेखा/2024

मण्डलेश्वर, दिनांक 11/04/2024

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- (2) समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालय
- (3) पुलिस अधीक्षक, खरगोन
- (4) जेल अधीक्षक, खरगोन/कसरावद/मण्डलेश्वर/महेश्वर/बड़वाह
- (5) शासकीय अभिभाषक/अति. शासकीय अभिभाषक/जिला अभियोजन अधिकारी, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालय
- (6) समस्त अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं समस्त तहसील न्यायालयों
- (7) समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला मुख्यालय मण्डलेश्वर सहित समस्त तहसील न्यायालय की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
- (8) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर